

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: राम/प.2(13)रातस/बैच-29/2019/6668

दिनांक: 16/7/19

:- आदेश :-

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2016 में सफल घोषित अभ्यर्थियों को राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमावली 1956 के नियम 34 के तहत मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 6121 दिनांक 01.07.2019 द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रशिक्षण हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर/ सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय टोंक में दिनांक 03.07.2019 को उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया।

निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने में अवधि विस्तार (एक्सटेंशन) हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, इस क्रम में इनको दिनांक 03.07.2019 से उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक एक्सटेंशन की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्री	मेरिट नं.	विस्तार (एक्सटेंशन अवधि)	विशेष विवरण
1	हरसहाय मीना	694	31.07.2019 तक	—
2	चन्दन प्रकाश	122	31.07.2019 तक	—
3	हेमेन्द्र कुमार मीना	827	31.07.2019 तक	—
4	रमेश चंद मीणा	764	31.07.2019 तक	—
5	राम प्रकाश भाईप्रवत	765	31.07.2019 तक	—
6	पिंकी मीणा	1124	31.07.2019 तक	—
7	बजरंग लाल	1548	09.07.2019 तक	दिनांक 10.07.19 से मण्डल में उपस्थित
8	कुलदीप भाटी	901	10.07.2019 तक	दिनांक 11.07.19 से मण्डल में उपस्थित

संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि उक्त एक्सटेंशन अवधि के पश्चात उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ज्वोईन नहीं करने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश नियमानुसार निरस्त कर दिये जायेंगे।

उक्त सारणी के क्रम संख्या 7 एवं 8 पर अंकित श्री बजरंग लाल एवं कुलदीप भाटी को कार्यमुक्त कर आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आर.आर.टी.आई. अजमेर में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेशानुसार,



निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर

दिनांक: 16/7/19

क्रमांक : सम/ 6669-6682

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज., अजमेर।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/2) विभाग, राज. जयपुर।
- 3- निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
- 4- प्रधानाचार्य, सर्व उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक।
- 5- संबंधित अभ्यर्थी.....।
- 6- आदेश पंजिका।



निबन्धक

राजस्व मण्डल राज., अजमेर